

प्रेषक,

चन्द्रोदय कुमार,
जनपद न्यायाधीश,
ललितपुर।

सेवा में,

माननीय महानिबंधक महोदय,
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

पत्रांक

123 / ~~38~~ :ललितपुर:

दिनांक 13-01-2021

विषय:-

स्वयं का मधुमेह का इलाज दिनांक 13.09.2021 से करने जाने से सम्बन्धित सूचना में हुये बिलम्ब का शिथिलीकरण किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,


उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि मैं स्वयं का मधुमेह का ईलाज दिनांक 13.09.2021 से डा0 पवन सूद, चिकित्सक मान्यवर कांशीराम सयुक्त चिकित्यालय (पुरुष), ललितपुर से करा रहा हूँ।

उक्त सम्बन्ध में यह भी अवगत कराना है कि मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, ललितपुर के पत्र संख्या 1122, दिनांक 09.12.2021 के द्वारा संलग्नक शासनादेश संख्या 234/2019/993/पांच-6-2019-16(बजट)/18, दिनांक 06.09.2019 के अनुसार चिकित्सालय में आने वाले जिन मरीजों को चिकित्सा प्रतिपूर्ति अनुमन्य है उन्हें लोकल परचेज की सुविधा प्रदान न की जाये। मैं विगत वर्षों में शासन की लोकल परचेज की सुविधा का लाभ लेता रहा हूँ जिस कारण मैं उपरोक्त ईलाज प्रारम्भ किये जाने की तिथि दिनांक 13.09.2021 से एक माह के अन्दर सूचना माननीय न्यायालय प्रेषित नहीं कर सका।

अतः आपसे निवेदन है कि दिनांक 13.09.2021 से प्रारम्भ ईलाज की सूचना माननीय न्यायालय को एक माह के अन्दर न भेजे जाने में हुये बिलम्ब को शिथिलता प्रदान करने की कृपा करें।

सूचना माननीय न्यायालय की सेवा में सादर प्रेषित है।

भवदीय


(चन्द्रोदय कुमार)
जनपद न्यायाधीश,
ललितपुर।